

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर मु., टोंक
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान : अटल सेवा केन्द्र.....**देवपुरा**.....

प्र.सं 106/2017

-: आदेश :-

दिनांक 19/5/2017

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी.....**देवपुरा**..... व भू. अ. नि.....**ठुधोसा**
.....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार.....**शेरू**...../नायब तहसीलदार.....**शेरू**.....की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम.....**सुनेलाहाजीपुरा**.....तहसील.....**शेरू**.....व
जिला.....**शेरू**.....की जमाबन्दी सम्वत्.....**2016-71**.....में खाता संख्या.....**156**.....में वर्तमान
में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश कि जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	सुनेलाहाजीपुरा	156	शमलाल पुत्र शोपलाश मोल्फा शैवा शोपलाश	शमजीलाल पुत्र शोपलाश मोल्फा चर्लिन शोपलाश 15

उपखण्ड अधिकारी
टोंक
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, टोंक

मांक :- 1705

दिनांक.....19/5/2017

तलिपी :-

1. तहसीलदार टोंक को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री.**शमजीलाल पुत्र शोपलाश शैवा नि. सुनेलाहाजीपुरा**.....को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

15
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
टोंक
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, टोंक